

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गाजीपुर  
तहसील कासिमाबाद  
आवेदन क्र० 201950030116023  
प्रमाणपत्र क्र० 656203011144

जारी दिनांक: 14/09/2020

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

प्रियांशु गुप्ता  
अनन्त प्रसाद गुप्ता  
रीता गुप्ता  
,सिंगेरा, पो- सिंगेरा  
सिंगेरा  
कासिमाबाद  
गाजीपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की तेली जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रियांशु गुप्ता पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30 प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1953 से यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: शिव शंकर सिंह, जन सेवा केंद्र  
पद: केन्द्र प्रभारी  
स्थान: गाजीपुर, गाजीपुर  
दिनांक: 18/10/2020  
हस्ताक्षर एवं मुहर



BIRAG  
PANDEY

Digitally Signed by  
BIRAG PANDEY  
O=REVENUE  
DEPARTMENT,  
OU=REVENUE  
DEPARTMENT, S=Uttar  
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
कासिमाबाद, गाजीपुर  
दिनांक: 14/09/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विधिवत सिग्नेचर द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।